बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर,
धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494001
दूरभाष–07782–229215

क्रमांक/ 439 /परीक्षा/गोपनीय/ब.वि.वि./2020 जगदलपुर दिनांक 11/09/2020

//अधिसूचना//

शैक्षणिक सत्र 2019–20 की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा कोविड–19 संक्रमण के व्यापक प्रभाव के कारण स्थगित की गई थी। स्थगित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 38 (2) में निहित प्रवधानों के अनुसार छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20/08/2020 को आयोजित विद्यापरिषद की बैठक की कार्यवाही विवरण क्रमांक/567/अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर दिनांक 20/08/2020 के विषय क्रमांक 3 के निर्णय को दिनांक 22/08/2020 को आयोजित कार्यपरिषद की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक/575/अका./ब.वि.वि./जगदलपुर दिनांक 24/08/2020 के अनुसार विषय क्रमांक 02 में अनुमोदन प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 38(2) में निहित प्रावधानानुसार बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा अध्यादेश क्रमांक 5 की कंडिका 22 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन माननीय कुलाधिपति द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–9/2020/38–2 दिनांक 09/09/2020 अनुसार अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन की कंडिका क्रमांक 22 केवल शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए की गई है। फलस्वरूप वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा का संचालन एवं परीक्षा परिणाम निम्नानुसार पद्धति से घोषित की जायेगी:–

1. जिन कक्षाओं/विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ सम्पन्न हो चुकी है उनके उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्राप्तांको को परीक्षा परिणाम तैयार करने में शामिल किया जायेगा।
2. B.A./B.Sc./B.Com/B.H.Sc./B.C.A.प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के सभी नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आंतरिक परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक 01 में आने वाले विषयों/प्रश्नपत्रों को छोड़कर तैयार किया जायेगा।
3. B.A./B.Sc./B.Com/B.H.Sc./B.C.A.अंतिम वर्ष के सभी नियमित परीक्षार्थियों एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी स्वध्यायी पाठ्यक्रमों में परीक्षा परिणाम प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक के अनुसार मुद्रित प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका का बुकलेट बनाकर महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराते हुए परीक्षार्थियों द्वारा सभी प्रश्नों को घर से हल कर महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में एसाईनमेंट के रूप में हस्तलिखित उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार जमा कराया जायेगा तथा मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा।
4. सेमेस्टर पाठ्यक्रम में अंतिम सेमेस्टर के साथ–साथ सभी कक्षाओं के ATKT परीक्षार्थियों का परीक्षा प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक के अनुसार मुद्रित प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका का बुकलेट बनाकर महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराते हुए सभी प्रश्नों को घर से हल कर महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में एसाईनमेंट के रूप में हस्तलिखित उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार जमा कराया जाए। चूंकि विधि पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है अतः समस्त कक्षाओं/सेमेस्टर की परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी।
5. परीक्षार्थियों को 24 पेज की नई उत्तर पुस्तिका शेष बची हुई परीक्षाओं के लिये प्रदान किया जायेगा। पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं किया जायेगा।

6. इस परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना एवं पूरक परीक्षा के प्रावधान नहीं होगें। केवल बिन्दु कमांक 1 अनुसार आयोजित परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना एवं पूरक परीक्षा के प्रावधान होगें।
7. किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कोविड–19 संक्रमण की स्थितियॉ सामान्य होने पर विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जावेगी।

11/9/2020
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

क्रमांक/440/परीक्षा/गोपनीय/ब.वि.वि./2020 जगदलपुर दिनांक 11/09/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ,नवा रायपुर को सूचानार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचानालय, इन्द्रवती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
4. मान.कुलपति महोदय, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सहायक कुलसचिव (अकादमिक) बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ।
8. सम्पादक, संपादक, नवभारत/दैनिक भास्कर/देशबंधु/हरिभूमि/नईदुनिया/हाईवे चैनल/दण्डकारण्य /प्रातःइण्डिया महाकौशल/हिन्दसत्/पत्रिका को इस अनुरोध के साथ कि उक्त समाचार को छात्र हित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. सूचना पटल

सहा. कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर